

15.07.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपरिथत। प्रार्थी वकील मूल वादपत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी हो गया। मूल वाद पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक क्लर्क
एवं उपखण्डाधिकारी
इसुमानगढ

